न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2021/126

अपील संख्या – 56/21

1. किशन पुत्र जयचंद
2. गुल्लो बेवा हजारी
3. रामकेश पुत्र स्व0हजारी
4. [illegible]राज पुत्र स्व0हजारी जातियान मीना निवासीयान सलौना तहसील गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम

1. रमेश पुत्र जयचंद
2. नीलकमल पुत्र रमेश जातियान मीना निवासी सलौना तहसील गंगापुर सिटी व श्रीराम कालोनी मिर्जापुर गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 100/19 निर्णय दिनांक 2.3.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री आर0डी0त्रिवेदी

अभिभाषक रैस्पो0 श्री मोहम्मद इस्लाम

दिनांक 27.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 2.3.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रार्थीयान की और से एक प्रार्थना पत्र कायमी रिसीवरी इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण ने दावे के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए पेश किया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने रमेश व नीलकमल अप्रार्थीगण को दिनांक 21.1.19 को इस आशय से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि भूमि ख0न0 1041 रकबा 0.45 है0, 1301 रकबा 0.36 है0, 88 रकबा 1.76 है0, 978 रकबा 1.37 है0 ग्राम सलौना की भूमि राजू पुत्र जयचंद का हिस्सा 1/4 की रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये। इसके बाबजूद भी अप्रार्थीगण कानून की परवाह नही कर भूमि मे उगे पेडो को दिनांक 14.12.19 को काटने लगे तो प्रार्थी किशन से अप्रार्थी से कहा कि तुमको न्यायालय ने राजू के हिस्से 1/4 की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया है फिर भी ऐसा क्यो कर रहे हो। इस पर वे लोग नाराज हो गये और पेडो को कांटने लगे तथा फसल को भी काटने की धमकी दी गई। इस कारण रिसीवर का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। इस प्रकार विवादित आराजीयात मे राजू के हिस्से 1/4 की सुरक्षा बिना रिसीवर नही हो सकती [illegible] भूमि पर रिसीवर कायम किया जाना न्यायोचित है। अतः भूमि ख0न0 1041 रकबा 0.45 है0, [illegible] रकबा 0.36 है0 , 88 रकबा 1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

76 है0 , 978 रकबा 1.37 है0 ग्राम सलौना तहसील गंगापुर सिटी मे राजू पुत्र जयचंद का हिस्सा 1/4 पर तहसीलदार या अन्य उपयुक्त व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा चाही गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांट का प्रार्थना पत्र कायम रिसीवरी खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय की पाबन्दी के बाबजूद पेड काटने को डैमेज की श्रेणी मे न मानने मे भारी कानूनी भूल की है। जबकि सही स्थिति यह है कि जब कोई व्यक्ति पाबन्दी के बाबजूद गलत रूप से फसल पेड काट लेता है तो वह वेस्ट डेमेज की तारीफ मे आता है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। जबकि प्रकरण स्पष्ट रूप से रिसीवर नियुक्ति का बनता है। अधिनस्थ न्यायालय ने अंकित किया है कि रिसीवर नियुक्त किया जाना कठोरतम उपचार है उसे विशेष परिस्थितियो मे ही लागू किया जाना उचित है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नही किया कि जब अदालत के पाबन्दी आदेश का उल्लंघन किया है तो वह विशेष परिस्थिति होती है। ऐसे मामलो मे रिसीवर नियुक्ति सर्वोत्तम उपाय है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपील समय पर इसलिए नही हो सकी क्योकि उस समय कोरोना प्रभाव मे था जिसके कारण घर से निकलना संभव नही था। इसलिए कानूनगी पैचदगी से बचने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर मृतक राजू पुत्र जयचंद के हिस्से तक की भूमि पर तहसीलदार या अन्य उपयुक्त व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि मृतक राजूलाल ने अपनी मृत्यु से पूर्व विधिवत रूप से अप्रार्थी रमेश के पक्ष मे अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग उप पंजीयक के यहॉ पंजीवद्व कराया है। इस प्रकार विवादित भूमि मे अप्रार्थी रमेश 1/2 हिस्से का खातेदार हो गया है। प्रार्थीगण पेड काटने का आरोप लगागर भूमि पर रिसीवर कायम करवाना चाहता है जो रिसीवरी कायमी के लिए पर्याप्त कारण नही है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा पेड काटे जा रहे हो तो इसके लिए प्रार्थीगण को पुलिस मे प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए थी या न्यायालय के आदेश की अवलेहना के लिए ब्रीच पेश करना चाहिए था। परन्तु उनके द्वारा ऐसा नही किया गया है। रिसीवर कायम करना कठोर उपचार है। भूमि डेमेज किये जाने की [illegible] भूमि पर रिसीवर कायम होता है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष [illegible] कराने की कोई कार्यवाही नही की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय [illegible] विवादग्रस्त भूमि को डेमेज एनीनेंट

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:31 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

किया जाना प्रमाणित नही मानकर ही विधि के अनुरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधिक रूप से खारिज किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के अनुरूप होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि मृतक राजूलाल ने अपनी मृत्यु से पूर्व विधिवत रूप से अप्रार्थी रमेश के पक्ष मे अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग उप पंजीयक के यहाँ पंजीवद्व कराया है। इस प्रकार विवादित भूमि अप्रार्थी रमेश 1/2 हिस्से मे आई है। रेस्पो0 द्वारा यदि नाजायज रूप से पेड काटने की कार्यवाही की गई है तो अपीलांट को उसके विरूद्व संबंधित थाने मे प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए थी या पेड काटने के संबंध मे तहसीलदार को रिपोर्ट की जानी चाहिए थी। जो उनके द्वारा नही की गई है। चूकिःउक्त विवादित आराजीयात के बाबत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 4/19 मे पारित निर्णय दिनांक 2.3.21 के द्वारा मृतक राजू पुत्र जयचंद का हिस्सा 1/4 की भूमि की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति दावे के निस्तारण तक कायम किये जाने के आदेश पारित किये गये है जिसकी अपील इस न्यायालय मे अपील संख्या 39/21 पेश की गई है जिसमे भी अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के अनुरूप होने से उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 100/19 मे पारित निर्णय दिनांक 2.3.21 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:34:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner